

FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:- श्री खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर (राज.)
बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सोजत
रेस्पोंडेन्ट :-

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 28 / 2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---------|---|---|
| 21/5/19 | <p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सोजत द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> | <p>578-79 21/5/19</p> |
| 29/5/19 | <p>जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर तहसीलदार सोजत को सूचना अधिकारी से सूचना का वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करके प्रेषित किया गया। उस न्यायालय द्वारा जसिफिकेट 578 डि 615/2019 के तहत निर्देशित करते हुए प्रेषित करके हुए अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर तहसीलदार सोजत को सूचना अधिकारी से सूचना का वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करके प्रेषित किया गया। उस न्यायालय द्वारा जसिफिकेट 578 डि 615/2019 के तहत निर्देशित करते हुए प्रेषित करके हुए अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर तहसीलदार सोजत को सूचना अधिकारी से सूचना का वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करके प्रेषित किया गया। उस न्यायालय द्वारा जसिफिकेट 578 डि 615/2019 के तहत निर्देशित करते हुए प्रेषित करके हुए अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> | <p>766 29/5/19</p> |

जिला कलेक्टर, पाली